

महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023 में पारित

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में पारित
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सुरसुरा दिनांक 26-5-2023
न्यायालय शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, जिला-अजमेर
क्रमांक/प्रशा0गांवों के संग अभियान/2023/44 दिनांक :-26-5-2023

आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प सुरसुरा में मजमें आम में जानकारी अनुसार, रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरसुरा जांच भू.अ.नि. सुरसुरा सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट/ अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला- अजमेर की जमाबन्दी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता संख्या 392 में वर्तमान में दर्ज इन्द्राज को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र0सं0	नाम ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान इन्द्राज (अशुद्ध प्रविष्ट)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1)	सुरसुरा	392	दीनदयाल शोभावत पुत्र शिवलाल जाति जाट	दीनदयाल शोभावत पुत्र शंकरलाल अफ शिवलाल जाति साद

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़
जिला-अजमेर
दिनांक-26-5-2023

क्रमांक/सम/2023/130-132

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को मिजवाकर लेख है कि मुताबिक आदेश के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करवाकर पालना करें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. आदेश पत्रावली

शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, जिला-अजमेर
महगाँई राहत शिविर एवं प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2023